

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
30प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
गोरखपुर/बस्ती/औरैया/सम्भल/इटावा/खीरी/मैनपुरी/लखनऊ/देवरिया ।
/बजट/29(5)/अनु0-83/01/RKVY/2018-19

दिनांक 15-11-18

संख्या-

वषय:-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-621/12-3-2018-100(58)/2017,दि0 28 जून, 2018 द्वारा (Establishment and Strengthening of existing veterinary hospitals and dispensaries (ESVHD) के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र में रू0 1890000.00 (रूपये अठारह लाख नब्बे हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए निदेशक,प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-981/सा0-1/एक्स-84/2017-18,दिनांक 12-11-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

- (1) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जायेगी ।
- (2) ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित,बाह्य सहायित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0-3497/12-3-2012-100(70)/2012,दिनांक07-11-2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।
- (3) ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल. एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- (4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक,पशुपालन विभाग,30प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो ।
- (5) ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

C148

11/11/18

- (6) ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (7) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (8) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं0-1-11011/58/2013-डी.बी.टी., दि0 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (9) ऑवटित धनराशि का समय पर सद्पयोग एवं उपभोग आगामी समय-सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (10) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ का होगा।
- (11) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-पशुपालन की योजनायें-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
- (12) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के क्रम संख्या-01 (अनुदान-83) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक।

संख्या-959 / बजट/29(5)/अनु0-83/01/RKVY/2018-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर/बस्ती/औरैया/सम्भल/इटावा/खीरी/मैनपुरी/कलकत्ता-लखनऊ/देवरिया।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, 30प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- (6) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक (रो0नि0), मुख्यालय को निदेशक, प्रशासन एवं विकास पत्र सं0-981/सा0-1/एक्स-84/2017-18, दिनांक 12-11-2018 के क्रम में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय/अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित आ0वि0 अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (7) योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशुपालन विभाग, मुख्यालय।
- (8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
- (9) कम्प्यूटर ऑपरेटर, मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें।
- (10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक।

1/2/20

Print Report
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-15/11/2018

प्रेषण संख्या:- 959
आवंटन आदेश संख्या:- 004-29-5-ANU-83-01-RKVY-2018-19
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
03 - पशुपालन की पूंजीगत योजनायें(के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	योग
1	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	189000 189000	189000 189000
2	इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	63000 63000	63000 63000
3	गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	378000 378000	378000 378000
4	बस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	315000 315000	315000 315000
5	देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	252000 252000	252000 252000
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	252000 252000	252000 252000
7	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	63000 63000	63000 63000
8	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	189000 189000	189000 189000
9	सम्बल-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	189000 189000	189000 189000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1890000 1890000	1890000 1890000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख नब्बे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख नब्बे हजार

(H) (नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
C148